राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1102 / 2023

गनी मोहम्मद शेरानी

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.03.2023
आदेश की दिनांक : 10.04.2023

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के नियंत्रणाधीन पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में अस्थाई आधार पर दिनांक 01.07.1987 को हुई थी तथा अपीलार्थी ने वहां पर दिनांक 28.01.1989 तक अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात् अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसके पश्चात दिनांक 03.01.2000 को आयोजित जिला स्थापना समिति, जिला परिषद्, नागौर की बैठक में अपीलार्थी का वेतनमान रू. 4500—7000 पर शिक्षक के पद पर चयन किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 07.01.2000 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति डीडवाना में पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 01.07.1987 को नियुक्त हुआ था तथा उसने दिनांक 28.01.1989 तक अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाएं दी हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा दी गई अपनी अनुबंध के आधार पर सेवा को चयनित वेतनमान तथा अन्य लाभों के लिए

नहीं जोड़ा गया है। बल्कि अपीलार्थी की सेवा की गणना को वर्ष 2000 से गिना गया है तथा 9 वर्ष पूर्ण होने पर भी चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है, जो कि गलत है। अतः अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ तथा पेंशन गणना अवधि प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से मानकर अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा गणना का लाभ प्रदान किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)